न्यायालय संभागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी डॉ. प्रतिभा सिंह, आई.ए.एस.

राजस्व द्वितीय अपील संख्या 276/2023

अपीलाण्ट :—

1. गुमनाराम पुत्र श्री निम्बाराम जाति जाट, उम्र 70 वर्ष, निवासी लूनाडा, तहसील बायतु, जिला बाडमेर

बनाम

रेस्पोडेन्ट :—

1. नरेन्द्र कुमार पुत्र श्री हरखाराम जाति जाट, निवासी— जेतानियों की ढाणी, भाड़खा, तहसील व जिला बाड़मेर,
2. हुकमाराम पुत्र दलाराम जाति जाट, निवासी पोषाल, पटवार मण्डल—बोड़वा तहसील— शिव, जिला बाड़मेर.।
3. किसनाराम पुत्र श्री तेजाराम,
4. छगनी देवी पत्नी श्री तेजाराम जातियान् मेघवाल, निवासीयान— लुणाड़ा तहसील बायतु जिला बाड़मेर।
5. रूघनाथराम पुत्र भारमलराम
6. रावतराम पुत्र भारमलराम जातियान जाट, निवासी— शोभाला जेतमाल तहसील गुड़ामालानी, जिला बाड़मेर।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 28.04.2022 को उपखण्ड अधिकारी बायतु के द्वारा राजस्व प्रार्थना—पत्र संख्या 205/2020 अनवान नरेन्द्र कुमार बनाम हुकमाराम वगैराह में पारित किया गया

उपस्थितिः—

1. श्री रामेश्वर दवे, विद्वान अधिवक्तागण, अपीलाण्ट्स की ओर से।
2. रेस्पो0 संख्या 1 से 6 एक बावजूद तामीली सूचना के अनुपस्थित है।

:: <u>निर्णय</u> ::

दिनांकः 29—09—2025

1. पत्रावली में संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेण्ट्स संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बायतु के समक्ष एक प्रार्थना—पत्र अंतर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि रेस्पोडेण्ट्स संख्या 1

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

की खातेदारी के खेत मौजा लूणाडा पटवार हल्का लूनाडा तहसील बायतु जिला के खसरा नंबर 1576/1458 रकबा 0.9708 हैक्टेयर की पक्की नेखमबंदी हेतु पेश किया गया था, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेण्ट्स संख्या 1 का प्रार्थना–पत्र दिनांक 21.8.2020 स्वीकार कर आदेश दिनांक 28.04.2022 पारित किया गया। अपीलाण्ट ने उक्त आदेश दिनांक 28.04.2022 से व्यथित होकर यह प्रथम अपील न्यायालय हाजा के समक्ष दिनांक 13.07.2022 को पेश की गई है।

2. यह अपील दर्ज रजिस्टर की गई तथा रेस्पोडेण्ट्स को जरिये सम्मन से तलब किया गया। रेस्पोडेण्ट्स बावजूद तामील के न्यायालय में उपस्थित नही हुये। तत्पश्चात अपीलान्ट के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा की गई बहस को सुना गया।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपील पेश करने हेतु अनुमति लिये जाने बाबत धारा 96 सीपीसी के तहत दिनांक 13.07.2022 को एक प्रार्थना पत्र पेश करते हुए कथन किया कि अपीलाण्ट खसरा संख्या 1458/1946 मोजा लुनाडा, तहसील बायतु के संयुक्त खातेदार है। रेस्पोडेण्ट्स संख्या 01 ने अपीलार्थी को जानबूझकर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया तथा न्यायालय से महत्वपूर्ण तथ्यों को भी छुपाया है। प्रत्यर्थी ने यह तथ्य भी अंकित नहीं किया कि पक्षकारान् के मध्य किसी विवादित भूमि बाबत् राजस्व वाद लंबित है तथा स्थगन आदेश भी प्रभावी है। अपीलाण्ट उक्त आलोच्य आदेश से व्यथित है क्योंकि वह रेस्पोडेण्ट्स संख्या 1 के सेढे का पड़ौसी है एवं पक्षकारान् के मध्य राजस्व वाद भी लंबित है इसलिए प्रार्थी को उक्त अपील प्रस्तुत करने की अनुमति दिया जाना अत्यन्त आवश्यक व न्याय संगत है ताकि उसे समुचित न्याय प्राप्त हो सके। अतः अपीलान्ट को अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जावें।

4. अपीलान्ट के विद्वान अधिवक्ता ने अपील को अन्दर मियाद शुमार किये जाने हेतु धारा 05 मियाद अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 13.07.2022 के विषय में यह कथन किया कि प्रार्थी खसरा संख्या 458/1946 मोजा लुनाडा, तहसील बायतु का संयुक्त खातेदार है। रेस्पोडेण्ट्स संख्या 1 ने अपीलार्थी को जानबूझकर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया तथा न्यायालय से महत्वपूर्ण तथ्यों को भी छुपाया है। प्रत्यर्थी ने यह तथ्य भी अंकित नहीं किया कि पक्षकारान् के मध्य किसी विवादित भूमि बाबत् राजस्व वाद लंबित है तथा स्थगन आदेश भी प्रभावी है। प्रार्थी को उक्त आलोच्य निर्णय सर्वप्रथम की जानकारी अपीलार्थी को दिनांक 20.06.2022 को तब हुई जब अपीलार्थी अपने खेत की जमाबन्दी प्राप्त करने हेतु हल्का पटवारी से मिला एवं उसके पश्चात् प्रार्थी ने बिना किसी विलम्ब के सत्यापित प्रतिलिपियां प्राप्त करने हेतु अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदन कर उक्त आदेश की सत्यापित प्रतिलिपि प्राप्त कर जोधपुर में अपने अधिवक्ता से सम्पर्क कर उक्त अपील ड्राफ्ट करवाकर बिना किसी विलम्ब के प्रस्तुत की है। उक्त अपील को प्रस्तुत करने में जो देरी हुई है वह सदभाविक है जो क्षमा करने योग्य है तथा उक्त देरी को स्वीकार

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

फरमाया जावे। अतः मियाद प्रार्थना पत्र दिनांक 13.07.2022 को स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावें।

5. अपीलान्ट्स के द्वारा प्रस्तुत धारा 96 सीपीसी बाबत अपील पेश करने की अनुमति तथा धारा 05 मियाद अधिनियम अपील को अन्दर मियाद शुमार किये जाने सम्बन्धी दोनों प्रार्थना पत्रों पर विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट के द्वारा की गई बहस को सुनने के उपरान्त उक्त दोनों प्रार्थना पत्रों को न्यायहित में स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है तथा अपील को अन्दर मियाद शुमार किया जाता है।

6. अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुये यह कथन किया कि रेस्पोडेण्ट्स संख्या 01 ने अन्य रेस्पोडेण्ट्स संख्या 02 से 06 के विरूद्ध अपने खेत खसरा संख्या 1576/1458 रकबा 0.9708 हेक्टर भूमि में नेखमबन्दी हेतु एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर यह तथ्य अंकित किये कि रेस्पोडेण्ट्स संख्या 1 की खेत के चारों और पुराने सेढे बने हुए है तथा पड़ौसी खातेदार उक्त सेढों को तोड़ने की कोशिश करते है, जिस कारण से हमेशा सीमा विवाद बना रहता है। इस हेतु हल्का पटवारी व हल्का संरपंच से नेखमबन्दी हेतु कहा गया लेकिन उन्होने सक्षम न्यायालय से आदेश लाने हेतु सलाह दी जिस पर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 21.08.2020 को प्रस्तुत किया गया तथा रेस्पोडेण्ट्स संख्या 02 से 06 को नोटिस जारी किये गये। दिनांक 28.04.2022 को न्यायालय द्वारा अन्य अप्रार्थीगण की तामील पर्याप्त मानते हुए उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाकर उसी दिन रेस्पो0 संख्या 01 का उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार कर नेखमबन्दी का आदेश दिनांक 28.4.2022 पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेण्ट्स संख्या 1 द्वारा प्रकरण में अपीलार्थी को जानबूझकर पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया गया जबकि अपीलार्थी प्रत्यर्थी संख्या 01 के खेत का पड़ौसी है तथा सीमा विवाद भी चल रहा है।

7. अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान यह कथन भी किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेण्ट्स संख्या 01 स्वच्छ हाथों से उपस्थित नहीं हुआ है तथा जानबूझकर अपीलार्थी गुमनाराम को पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया है जबकि अपीलार्थी प्रत्यर्थी संख्या 01 के खेत के सेढ़े का पड़ौसी है तथा जानबूझकर रेस्पोडेण्ट्स संख्या 01 ने पक्षकार मुकदमा अपीलार्थी को नहीं बनाया जिसका एक मात्र कारण सही व वास्तविक तथ्यों को वह रिकॉर्ड पर नहीं आने देना चाहता था क्योंकि पक्षकारान् के मध्य सीमा विवाद है तथा राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का विचाराधीन है उन तथ्यों को जानबूझकर छिपा कर उक्त प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया तथा न्यायालय को मुगालते में रखकर गलत तथ्यो के आधार पर उक्त आलोच्य आदेश पारित किया गया है जो निरस्त होने योग्य है।

सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

8. अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान यह कथन भी किया कि रेस्पोडेण्ट्स संख्या 01 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया उसमें पड़ौसियों के खेत खसरा संख्या का कोई विवरण ही अंकित नहीं किया गया है जिसका एक मात्र उद्देश्य यही था कि न्यायालय के समक्ष सही तथ्य प्रकट न हो। अपीलार्थी गुमनाराम एवं अन्य खातेदारान् की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि गांव लुनाडा, तहसील बायतु के खेत खसरा संख्या 1458/1946 रक्बा 67 बीघा कृषि भूमि आई हुई थी। महेन्द्र कुमार द्वारा एक वाद बाबत् बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का हुकमाराम व अन्य के विरूद्ध उक्त कृषि भूमि के बंटवाडे बाबत् प्रस्तुत किया गया था जो उपखण्ड अधिकारी द्वारा दिनाक 21.03.2018 को एक तरफा डिक्री किया गया। जिसके विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा एक तरफा निर्णय को निरस्त करवाने हेतु एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 13 सी.पी.सी मय स्थगन प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी बालोतरा के समक्ष प्रस्तुत किया गया तथा न्यायालय द्वारा दिनांक 07.08.2020 को उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 21.03.2018 तथा उसकी पालना में पारित अंतिम डिक्री दिनाक 03.03.2020 के प्रभाव व क्रियान्वयन को रोकने का आदेश पारित किया गया है जो आज दिन तक प्रभावी है। प्रत्यर्थी संख्या 01 द्वारा उक्त तमाम तथ्यो को जानबूझकर छुपाकर उक्त आलोच्य आदेश पारित करवाया है जो इसी बिनाह पर निरस्त होने योग्य है।

9. अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान यह कथन भी किया कि रेस्पो0 सख्या 01 उक्त आलोच्य आदेश के जरिये अपीलार्थी के खेत में जबरन कब्जा करना चाहता है इसलिए उसने अपीलार्थी को पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया और न ही इस तथ्य की जानकारी न्यायालय को उपलब्ध करवाई कि राजस्व वाद इसी कृषि भूमि बाबत् लंबित है एवं उक्त वाद के लंबित रहते आलोच्य आदेश पारित ही नहीं किया जा सकता था एवं इसी आधार पर उक्त आलोच्य आदेश निरस्त होने योग्य है। अतः अपीलार्थी की अपील को स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.04.2022 को निरस्त फरमाया जाने का आदेश प्रदान कराये।

10. हमने उपस्थित विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट की बहस पर गहनता से चिन्तन एवं मनन किया तथा अपील पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का बगौर अवलोकन किया गया। जैर अपील में विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा मुख्य कथन यह प्रस्तुत किया गया है कि रेस्पो. संख्या 1 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अपीलान्ट रेस्पो0 संख्या एक के पड़ौसी खातेदार होते हुये भी अपीलाण्ट को पक्षकार नही बनाया गया है तथा अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अन्य रेस्पोडेण्ट्स को बिना सुने ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.04.2022 को पारित कर दिया गया है।

11. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं अपीलान्ट के द्वारा अपील के संलग्न प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन किया गया जिससे यह स्पष्ट प्रकट होता है

सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

कि रेस्पो0 संख्या एक के खेत ख0सं0 1576/1458 रकबा 0.9708 हैक्टर भूमि एवं अपीलान्ट के खेत ख0सं0 1458/1946 भूमि के मध्य में अन्य खेत खसरा संख्या 1457/1946 स्थित है जिससे उनके कथनों के अनुसार यह नहीं माना जा सकता है कि अपीलान्ट रेस्पो0 संख्या एक के उक्त खसरे के लगते हुए पड़ौसी खसरे की भूमि के खातेदार है और अपीलाधीन आदेश से उनके हक–अधिकार प्रभावित हो रहे है। इसके अतिरिक्त अपीलान्ट ने खसरा संख्या 1458/1946 रकबा 67 बीघा भूमि के सम्बन्ध में बंटवाड़े का वाद दायर होने का कथन किया है परन्तु उस सम्बन्ध में कोई साक्ष्य दस्तावेज न्यायालय हाजा के समक्ष पेश नहीं किये है जिससे अधीनस्थ न्यायालय के आदेश पर कोई प्रभाव पड़ता हो और उनके अपील में अंकित कथनों को बल मिलता हो। इस प्रकार रेस्पो0 संख्या एक के आवेदन के अनुसार उनके खेत खसरा संख्या 1576/1458 रकबा 0.9708 हैक्टर भूमि की नेखमबन्दी किये जाने का अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा जो अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.04.2022 को पारित किया गया है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि कारित नहीं की गई है। उल्लेखित समस्त तथ्यों पर विवेचन एवं विश्लेषण करने के उपरान्त हमारे विनम्र मत में अपीलान्ट की अपील सारहीन व आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज किये जाने योग्य है।

12. अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बायतू जिला बालोतरा के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.04.2022 को यथावत रखा जाता है। निर्णय आज दिनांक 29 सितम्बर, 2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 प्रतिभा सिंह)
सम्भागीय आयुक्त,
जोधपुर